



उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई अधिनियम

(अधिनियम संख्या 4, 2009)

संख्या: 347 / 79-वि-1-09-1(क)35-2008

लखनऊ, 20 फरवरी, 2009



उचित प्रबन्धन - अधिक उत्पादन

जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान (वाल्मी), उत्तरेठिया,

लखनऊ

अगस्त - 2009



प्राक्कथन

सिंचित कृषि के माध्यम से राष्ट्र को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर एवं सम्पन्न बनाने हेतु सिंचाई प्रणाली के उचित प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता परमावश्यक है।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य जल नीति, 1999 के माध्यम से सिंचाई के प्रत्येक क्षेत्र एवं स्तर में लाभग्राही की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। इसी भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन ने “उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई अधिनियम 2009” अधिनियमित किया है। यह किसानों तथा सिंचाई प्रणाली के संचालन एवं प्रबन्धन से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों सभी के हित में है। इसका अपनाने से कृषकों की समस्याओं का त्वरित होने के कारण उनको व्यक्तिगत लाभ और समूहिक लाभ प्राप्त होगा। इसी में राष्ट्रहित भी सन्तुष्ट है। अतः उचित होगा कि अधिनियम में प्रदत्त प्राविधानों का ठीक से अध्ययन कर सिंचाई प्रबन्धन को समझते हुए अधिनियम को क्रियान्वित कर इससे पूरा-पूरा लाभ उठाया जाये।

जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान (वाल्मी) लखनऊ उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सम्बद्ध व्यक्तियों तक 30 प्र० सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम- 2009 की जानकारी उपलब्ध करावाने हेतु इसका प्रकाशन किया गया है।

यद्यपि इसके प्रकाशन में किसी प्रकार की त्रुटि न हो इसकी पूरी सावधानी बरती राई है, तथापि इसके प्रयोग से किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को होने वाली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार की हानि के लिए अथवा क्षति के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं है। इस अधिनियम के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार के पास सुरक्षित है। आशा है पाठकगण सही दिशा में संस्थान द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाकर सिंचाई प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता को प्रभावी बनाने में योगदान देकर अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकेंगे।

मुख्य अधियन्ता एवं निदेशक

जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान (वाल्मी) 30 प्र०

वाल्मी भवन, उत्तरोत्तिया, लखनऊ

फोन: 0522- 2440309

फैक्स: 0522- 2440309

ई-मेल: walmeup@sancharnet.in

क्रम-संख्या-50



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०-११/२००८-१०
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009
फाल्गुन 01, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अगन्तुमाग-1

संख्या 347/79-वि-1-09-1-(क)35-2008
लखनऊ, 20 फरवरी, 2009

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन विधेयक, 2009 पर दिनांक 19 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2009]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा मण्डल में पारित हुआ)

जल उपभोक्ता समितियों को सहभागी सिंचाई प्रबंधन के प्रभावी उपकरण के रूप में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए सशक्त करने और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि राज्य सरकार ने वर्ष 1999 में घोषित अपनी राज्य जल नीति में सहभागी पहुंच के माध्यम से समेकित जल संसाधन प्रबंधन विकास को अंगीकार करने का संकल्प लिया है;

और, चूंकि, जल उपभोक्ता समितियों को, साम्यपूर्ण जल वितरण, इसके दक्ष एवं अनुकूलतम उपयोग, सिंचाई एवं जल निकास प्रणाली का रख-रखाव, सतही जल और भू-जल के सहयुक्त उपयोग को बढ़ावा, कमाण्ड क्षेत्र के विकास, जल प्रभार का निर्धारण एवं वसूली तथा पर्यावरण व पारिस्थितिकी के संरक्षण में प्रभावी भूमिका सौंपी जानी है।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं 1- (1)
प्रारंभ

(2)

(3)

यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय यह ऐसे दिनांक को प्रभावी होगा जैसा राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अलग-अलग क्षेत्रों, अलग-अलग सिंचाई प्रणालियों, एक ही सिंचाई प्रणाली के विभिन्न स्तरों (उदाहरणार्थ अलिप्का, रजबहा व अन्य उच्च स्तरों) तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्राविधिनों के लिए विभिन्न विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,

परिभाषाएं 2- (1)

(क)

“अनुबन्ध” का तात्पर्य, निचले स्तर की जल उपभोक्ता समितियों तथा उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों अथवा सक्षम नहर अधिकारी, जैसी स्थिति हो, के मध्य सिंचाई के लिए पारिमाणिक या क्षेत्र आधार पर जल की आपूर्ति और परिचालन सौंपने, अनुरक्षण और प्रबंधन के संदर्भ में विहित समयावधि हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध से है;

(ख)

“शीर्ष समिति” का तात्पर्य अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं जल प्रबंध की सहभागी पहुंच पर अनुसंधान के लिए, राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति से है जो सरकार को संबंधित नीति

- (ग) विषयक पृष्ठ पोषण एवं परामर्श प्रदान कर सके; “अपीलीय अधिकारी” का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा सक्षम नहर अधिकारी अथवा जल उपभोक्ता समिति, जैसी स्थिति हो, के आदेश और निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई और निर्णय के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (घ) “कार्य क्षेत्र” अथवा “वर्धित क्षेत्र” का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा वर्णित सिंचाई प्रणाली के कमांड क्षेत्र में, जहां तक संभव हो निरंतरता लिए हुए ऐसा भू-क्षेत्र, जो भू-आकृति, जलाकृति तथा/अथवा प्रशासनिक आधार पर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से है;
- (ड.) “शास्त्रा” का तात्पर्य समस्त कार्यों सहित ऐसी नहर से है जिसका परिकल्पित शीर्ष प्रवाह 500 क्यूसेक अथवा अधिक हो;
- (च) “नहर” का तात्पर्य अपने समस्त कार्यों सहित ऐसे जलपार्गों से है, जो गूलों, जल निकास नालियों तथा उनके संबंधित संरचनाओं सहित कमांड क्षेत्र में खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। इसमें राज्य सरकार द्वारा नहर के प्रयोजनों हेतु उपयोग में रखी गयी समस्त भूमि, भवन, मशीन, चारदीवारी, गेट्स तथा अन्य रचनाएं, वृक्ष, वृक्षारोपण या अन्य उत्पाद, जो राज्य सरकार द्वारा उपयोगित अथवा संबंधित हों, भी है।
- (छ) “नहर प्रणाली” का तात्पर्य नहर से है, जिसमें उससे जुड़ी हुई नहरें भी हैं;
- (ज) “कमांड क्षेत्र” का तात्पर्य परिचालन में विहित क्षेत्र, जिसके लिए जल उपभोक्ता समिति गठित की गयी है, के भीतर या तो तोड़ अथवा डाल अथवा अन्य किसी विधि द्वारा सिंचित या सिंचाई योग्य क्षेत्र से है;
- (झ) “सक्षम प्राधिकारी” का तात्पर्य राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकारी से है;
- (ञ) “सक्षम नहर अधिकारी” का तात्पर्य सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य सम्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (ट) “सक्षम जाय अभिकरण” का तात्पर्य किसी उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समितियां अथवा सक्षम नहर अधिकारी जैसी स्थिति हो, से है, जो इस

- अधिनियम के अधीन किये जाने वाले अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है;
- (ठ) “कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र” का तात्पर्य कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र से है;
- (ड) “परिकल्पित प्रवाह” का तात्पर्य उस अधिकतम प्रवाह से है जिसके लिए नहर प्रणाली परिकल्पित की गई हो;
- (ढ) “न्यूनता वर्ष” का तात्पर्य किसी व्यावर्तन अथवा जलाशय आधारित नहर प्रणाली के सम्बन्ध में, उस वर्ष से है, जिसमें शीर्ष कार्यों पर जल उपलब्धता सामान्य वर्ष से कम हो;
- (ण) “प्रवाह” का तात्पर्य किसी नहर से होकर समय की प्रति इकाई प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा से है;
- (त) “रजबाह” का तात्पर्य रिंचाई विभाग द्वारा इस नाम से अभिहित नहर अथवा अपने समस्त कार्यों सहित ऐसी नहर से है जिसका परिकल्पित शीर्ष प्रवाह 20 क्यूसेक तथा 500 क्यूसेक के मध्य हो;
- (थ) “कलेक्टर” के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त अधिकारी भी है;
- (द) “निर्वाचन अधिकारी” का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन संबंधी कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत अधिकारी से है;
- (थ) “खेत” का तात्पर्य कृषि किये जाने वाले खेत से है;
- (न) “खेत निकास नाली” का तात्पर्य अपने समस्त सहायक कार्यों सहित एक ऐसी जल वाहिका से है जो खेतों का अनुपयोगी जल या अधिक जल समीपस्थ जल निकास नाली में प्रवाहित करे;
- (प) “गेज” का तात्पर्य उस चिन्हांकित पैमाने अथवा मापक उपकरण से है जो नहर के विशिष्ट भाग पर जल के स्तर के प्रवाह को माप सके;
- (फ) “सामान्य सभा” का तात्पर्य कुलाबा समिति के संदर्भ में उस निकाय से है जिसमें कुलाबा समिति के सभी सदस्य हों तथा उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में उस निकाय से है जिसमें ठीक नीचे वाली जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समितियों के सदस्य हों;
- (ब) “सकल कमाण्ड क्षेत्र” का तात्पर्य नहर प्रणाली के उस समस्त क्षेत्र से है जो प्राकृतिक नालियों से घिरा हो;
- (भ) “जलाकृति आधार” का तात्पर्य उस अधार से है जिस पर जल उपभोक्ता समिति के कार्य क्षेत्र जो नालों अथवा प्राकृतिक ढालों के मध्य भू-आकृति

- आधार पर चिन्हित किया गया हो तथा जिसमें जल सामान्यतः गुरुत्वीय प्रवाह से पहुंच जाता हो;
- (म) “ठीक निचली जल उपभोक्ता समिति” का तात्पर्य नहर कमांड में अवस्थित जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में उस जल उपभोक्ता समिति से है जो उस नहर से सीधे निकलने वाली नहर पर गठित हो;
- (य) “ठीक ऊपरी जल उपभोक्ता समिति” का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में उस जल उपभोक्ता समिति से है जो उस पैतृक नहर के कमांड क्षेत्र हेतु गठित की गई हो जिससे इस जल उपभोक्ता समिति की नहर को जल प्राप्त होता है;
- (क क) “सिंचाई विभाग” का तात्पर्य सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से है;
- (क ख) “सिंचाई प्रणाली” का तात्पर्य सिंचाई परियोजना, जिसे सिंचाई एवं अन्य सहकार्यों के उपयोग हेतु जल प्राप्त करने जिसमें जलाशय तथा/अथवा व्यावर्तित नहर प्रणाली, आस्तावित जल बाहिकाएं, डाल सिंचाई योजनाएं ताल तथा ऐसे ही अन्य कार्य सम्पालित हों, के लिए किया जाय से है। इसमें नहर कमांड में खेतों से अनुपयोगी या अधिक जल को निकटस्थ जल निकास नाली दर्क निकालने वाली खेत जल निकास नाली भी सम्पालित है;
- (क ग) “भू-धारक” का तात्पर्य खतौनी अथवा बन्दोबस्ती रिजिस्टर के अनुसार भूमि के स्वामी अथवा असामी अथवा उप असामी अथवा कब्जे वाला बंधकदार अथवा पट्टेदार अथवा अनुजापी अथवा भू-धृतिधारक अथवा अन्य से है और सिंचाई से लाभान्वित होने वाला व्यक्ति भी है;
- (क घ) “डाल सिंचाई” का तात्पर्य उस सिंचाई से है जिसमें जल को उसके स्रोत से उठाकर ऊँचे स्तर के क्षेत्र में अवस्थित भूमि हेतु आपूर्ति किया जाता हो;
- (क ङ.) “डाल सिंचाई योजना” का तात्पर्य उस सिंचाई योजना से है, जिसमें जल को ऊपर उठाकर नहर प्रणाली को पूरित किया जाता है;
- (क च) “निचले स्तर के जल उपभोक्ता समिति” का जल उपभोक्ता समितियों के संदर्भ में तात्पर्य वर्णित क्षेत्र में अवस्थित उन सभी जल उपभोक्ता समिति से है जो उस विशिष्ट जल उपभोक्ता समिति से निचले स्तर पर हो;
- (क छ) “प्रबन्ध समिति” का तात्पर्य, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, निर्वाचित अथवा नामित अभिहित सदस्यों की समिति से है;
- (क ज) “अल्पिका” का तात्पर्य सिंचाई विभाग द्वारा

इस रूप से अभिहित नहर अथवा अपने समस्त कार्यों सहित ऐसी नहर से है, जिसका परिकल्पित शीर्ष प्रवाह 20 क्सूयेक से अधिक न हो;

- (क झ) “सामान्य वर्ष” का तात्पर्य एक व्यावर्तन प्रणाली अथवा जलाशय आधारित नहर के संदर्भ में एक ऐसे कैलेण्डर वर्ष से है जिसमें शीर्ष पर जल उपलब्धता (उस जल तथा जल सहित जो जलाशय से छोड़ा जाना हो) सिंचाई परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित की गई अथवा बाद में पुनरीक्षित की गई जल उपलब्धता के समतुल्य रही हो;
- (क झ) “पदाधिकारी” का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष से है;
- (क ट) “कुलाबा” का तात्पर्य अपने सभी कार्यों सहित अल्पिका, रजबहा अथवा शाखा अथवा मुख्य नहर अथवा पक्की गूल पर निर्भित संरचना से है जो नहर से जल लेकर गूल के माध्यम से खेतों तक पहुंचती है;
- (क ठ) “सहभागी सिंचाई प्रबंधन” का तात्पर्य नहर प्रणाली के प्रत्येक स्तर एवं सिंचाई प्रबंधन के प्रत्येक क्षेत्र में हितग्राहियों की सहभागिता से है;
- (क ड) “पूर्व देयों” का तात्पर्य जल शुल्क निर्धारण व वसूली के संदर्भ में उस धनराशि से है, जो भू-धारक अथवा जल उपभोक्ता समिति को प्रेषित बीजक अथवा नोटिस में उल्लिखित हो परन्तु उनके द्वारा भुगतान न किये गये हों;
- (क ढ) “पंजीयक” का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नामित उस अधिकारी से है जिसे जल उपभोक्ता समितियों के संदर्भ में पंजीकरण का कार्य सौंपा जाय;
- (क ण) “संरक्षित निधि” का तात्पर्य धारा 31 के अधीन निधि से है;
- (क त) “टेल गूल” का वही तात्पर्य है जैसा खण्ड (क ट) में कुलाबा के लिए परिभाषित है। जहाँ कहीं कुलाबा का उल्लेख होगा उसमें टेल गूल समाहित होगा;
- (क थ) “उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति” का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में सिंचाई प्रणाली के वर्णित कार्य क्षेत्र में अवस्थित उच्चतर स्तर की जल उपभोक्ता समितियों से है;
- (क द) “जल का अपव्यय” का तात्पर्य नहर सुरक्षा के अंतिरिक्त नहर के एस्केप चैनल के माध्यम से जल का अनुपयोगी बहाव अथवा सिंचाई या अन्य

- वैध उपयोग के अतिरिक्त जल के अवैध उपयोग से है;
- (क ध) “जल प्रभार” का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति/ भू-धारक द्वारा सिंचाई विभाग/उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति/निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति को जल पूर्ति के लिए ऐसी दरों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, संदेय धनराशि से है;
- (क न) “जल दर” का तात्पर्य आपूर्ति बिन्दु पर प्रभार्य इकाई क्षेत्र/आयतन के जल मूल्य से है;
- (क प) “जल मार्ग” या “क्षेत्र प्रवाह मार्ग” या “गूल” का तात्पर्य समस्त सहायक कार्यों सहित किसी प्रवाह मार्ग से है जो किसी कुलाबा से जल प्राप्त करे और खेतों को वितरित करे;
- (क फ) “जल उपभोक्ता” का तात्पर्य कमांड क्षेत्र में जल उपयोग करने वाले किसी एकल व्यक्ति अथवा निकाय अथवा संगठन अथवा समूह से है;
- (क ब) “जल उपभोक्ता समिति” का तात्पर्य एक नहर के डाल एवं तोड़ सिंचाई हेतु विशिष्ट स्तर पर गठित जल उपभोक्ताओं के संगठन से है;
- (क भ) “परियोजना स्तरीय जल उपभोक्ता समिति” का तात्पर्य परियोजना स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे परियोजना समिति कहा जायेगा;
- (क म) “शाखा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति” का तात्पर्य शाखा स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे शाखा समिति के नाम से जाना जायेगा;
- (क य) “रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति” का तात्पर्य रजबहा स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे रजबहा समिति कहा जायेगा;
- (कक्क) “अल्पिका स्तरीय जल उपभोक्ता समिति” का तात्पर्य अल्पिका पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे अल्पिका समिति कहा जायेगा;
- (कखख) “कुलाबा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति” का तात्पर्य कुलाबा स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे कुलाबा समिति कहा जाएगा;
- (कगग) “सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत भूमि” का तात्पर्य सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत कृषि योग्य कमांड क्षेत्रफल से है।

(2) अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम 1873 में उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो

जल उपभोक्ता समिति, उसका गठन, शक्तियां एवं कृत्य

जल उपभोक्ता समिति 3-
निर्गमित निकाय होगा

इस अधिनियम के अधीन गठित और निवंशक द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति एक निर्गमित निकाय होगी और उसके पास निर्गमित निकाय की शक्तियों के अलावा यह शक्ति भी होगी कि वह अपने प्रभार में सौंपी गयी सिंचाई प्रणाली का प्रबन्ध करे और उसे अनुरक्षित रखे, तथा अनेन नियंत्रण एवं प्रबन्धन के अधीन सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आवश्यक, उचित एवं समीचीन सभी कार्य करें परन्तु किसी जल उपभोक्ता समिति को यह शक्ति नहीं होगी कि वह सरकार द्वारा सौंपी गयी किसी सम्पत्ति को किसी भी रीति से अन्यसंकान्त करे।

जल उपभोक्ता समिति के 4-
उद्देश्य

जल उपभोक्ता समिति का मुख्य उद्देश्य जल प्रबन्धन में जल उपभोक्ताओं की सहभागिता सम्पादित करना तथा जल उपभोक्ताओं के मध्य उनके क्षेत्र में जल प्रणाली के स्वामित्व की भावना भी उत्पन्न करना है। स्पष्टतया विनिर्दिष्ट रूप से जल उपभोक्ता समिति:-

(एक) साम्यपूर्ण, दक्ष और सामयिक जल वितरण को प्रोत्साहित करेगी तथा उसकी सुरक्षा करेगी; वैज्ञानिक और नियंत्रित जल प्रयोग के संबंधाओं को ग्रಹण करने के लिए जल उपभोक्ताओं को बढ़ावा देगी;

(दो) सतही और भू-गर्भ जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करेगी;

(तीन) तीव्र और अपयोजित कृषि उत्पादन प्रणाली को प्रोत्साहित करेगी; और

(चार) पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संरक्षण करेगी।

जल उपभोक्ता समिति की 5-
शक्तियां और कृत्य

(पांच) (1) जल उपभोक्ता समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:- किसी भूमि में प्रवेश करना, बाधाओं को दूर करना किसी जलमार्ग को बंद करना और उसके कृत्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य उपाय करना;

(छह) यदि उसके कृत्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो तो किसी खड़ी फसल, बाढ़ा या झाड़ी के किसी भाग की कटाई करना या/और सफाई करना, नहर जल के उपयोग का निरीक्षण करने या उसे विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, या उसके द्वारा सिंचित और जल दर के प्रभार्य भूमि की पैमाइश

(एक)

(दो)

(तीन)

अध्याय-दो

जल उपभोक्ता समिति, उसका गठन, शक्तियां एवं कृत्य

जल उपभोक्ता समिति
निगमित निकाय होगा

3-

जल उपभोक्ता समिति के
उद्देश्य

(एक)

(दो)

(तीन)

(चार)

(पांच)

जल उपभोक्ता समिति की
शक्तियां और कृत्य

(एक)

(दो)

(तीन)

इस अधिनियम के अधीन गठित और
निबंधक द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक जल उपभोक्ता
समिति एक निगमित निकाय होगी और उसके पास
निगमित निकाय की शक्तियों के अलावा यह शक्ति
भी होगी कि वह अपने प्रभार में सौंपी गयी सिंचाई
प्रणाली का प्रबन्ध करे और उसे अनुरक्षित रखे,
तथा अपने नियंत्रण एवं प्रबन्धन के अधीन
सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा और संरक्षा के लिए
आवश्यक, उचित एवं समीचान सभी कार्य करें
परन्तु किसी जल उपभोक्ता समिति को यह शक्ति
नहीं होगी कि वह सरकार द्वारा सौंपी गयी किसी
सम्पत्ति को किसी भी रीति से अन्यसंक्रान्त करे।

जल उपभोक्ता समिति का मुख्य उद्देश्य जल
प्रबन्धन में जल उपभोक्ताओं की सहभागिता
सम्पादित करना तथा जल उपभोक्ताओं के मध्य
उनके क्षेत्र में जल प्रणाली के स्वामित्व की भावना
भी उत्पन्न करना है। स्पष्टतया विनिर्दिष्ट रूप से
जल उपभोक्ता समिति:-

साम्यपूर्ण, दक्ष और सामयिक जल वितरण को
प्रोत्साहित करेगी तथा उसकी सुरक्षा करेगी;
वैज्ञानिक और नितन्यगी जल प्रयोग के संबंधों
को ग्रಹण करने के लिए जल उपभोक्ताओं को
बढ़ावा देगी;

सतही और भू-गर्भ जल के संयुक्त उपयोग को
प्रोत्साहित करेगी;

तीव्र और अपयोजित कृषि उत्पादन प्रणाली को
प्रोत्साहित करेगी; और

पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संरक्षण करेगी।

(1) जल उपभोक्ता समिति के पास निम्नलिखित
शक्तियां होंगी:-

किसी भूमि में प्रवेश करना, वाधाओं को दूर करना
किसी जलपार्ग को बंद करना और उसके कृत्यों
को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य उपाय
करना;

यदि उसके कृत्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक
हो तो किसी खड़ी फसल, बाड़ा या झाड़ी के किसी
भाग की कटाई करना या/और सफाई करना,

नहर जल के उपयोग का निरीक्षण करने या उसे
विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, या उसके द्वारा
सिचित और जल दर के प्रभार्य भूमि की पैमाइश

- (पांच) करना;
विहित रीति से जल वितरण प्रबन्धन की रूपरेखा
तैयार करना, लागू करना, विनियमित करना और
उसका अनुश्रवण करना;
- (छ:) यथा विहित रीति से जल आयव्यक्त तैयार करना
तथा जल विवरण अनुरक्षित रखना;
- (सात) अनधिकृत सिंचाई तथा जल छीजन की रोकथाम
करना, धारा 33 के अधीन यथा स्थिति ताकालिक
उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति/सक्षम नहर
अधिकारी को अपराधों के सम्बन्ध में सामयिक
रिपोर्ट देना सुनिश्चित करना और विवेचक
अधिकरण के साथ सहयोग करना;
- (आठ) जल सम्पर्क सहित फसल के मौसमवार वार्षिक
रिपोर्ट तैयार करना और उसे यथास्थिति सामान्य
निकाय तथा उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता
समिति या सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना;
अपने प्रवर्तन क्षेत्र के नियंत्रण क्षेत्र के विकास से
सम्बन्धित क्रियाकलापों की योजना बनाना, रूपरेखा
तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना;
- (नौ) जल अभिलेखन तथा जल प्रभारों के मूल्यांकन एवं
उनकी वसूली की प्रक्रिया में यथाविहित रीति से
सहायता करना और उसमें सहभागिता करना;
- (दस) अपने प्रभार में आस्तियों की सूची तैयार करना
और इसे यथाविहित रीति से अन्य अभिलेखों के
साथ अनुरक्षित रखना;
- (ग्यारह) इसके सदस्यों या अवर स्तरीय जल उपभोक्ता
समिति के मध्य होने वाले विवादों या भिन्नताओं
का समाधान करना;
- (तेरह) इस अध्येतेर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
अपेक्षित किन्हीं अन्य क्रियाकलापों का दायित्व ग्रहण
करना;
- (ख) कुलाबा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति अपने
प्रवर्तन क्षेत्र में निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों का
सम्पादन करेगी:-
- (एक) जल मार्गों और मैदानी नालों का निर्माण करना
और उन्हें अनुरक्षित करना;
- (दो) भू-धारकों के मध्य उपलब्ध जल का वितरण
करना।
- (ग) माइनर या रजबदा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति
अपने प्रवर्तन क्षेत्र में निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों
का सम्पादन करेगी:-
- (एक) प्रत्येक सिंचाई मौसम प्रारम्भ होने के पूर्व अपने
प्रभार में सिंचाई प्रणाली का वार्षिक अनुरक्षण और

- (दो) सुधार करना;
अपने प्रभार में सिंचाई प्रणाली के विशेष अनुरक्षण एवं सुधारों की क्रियान्वित करना;
(तीन) निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के क्रियाकलापों का अनुश्रवण एवं समन्वय करना।
(घ) शाखा समिति अपने प्रवर्तन क्षेत्र में निम्नालिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:-
(एक) पूर्व और वर्तमान जल प्रभारों की वसूली एवं वार्षिक अनुरक्षण के सम्बन्ध में यथास्थिति निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी को परामर्श देना;
(दो) सक्षम नहर अधिकारी से परामर्श करके चक्रानुक्रम और सिंचाई अन्तरालों की संष्ठा पर विचार करते हुए प्रत्येक सिंचाई औसम प्रारम्भ होने के पूर्व शाखा के लिए जल आय व्ययक और प्रारम्भिक सिंचाई कार्बंक्रम के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस तैयार करना और जारी करना;
(तीन) निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति और सक्षम नहर अधिकारी से परामर्श करके नहर प्रचलन अनुसूचियां तैयार करना;
(चार) निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के क्रियाकलापों का अनुश्रवण एवं समन्वय करना;
(ड.) परियोजना समिति परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत जल प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्याओं और मुद्रों पर सक्षम नहर अधिकारी और शीर्ष समिति को परामर्श देगी।
- (3) जहाँ जल उपभोक्ता समिति कुलाबा स्तर पर विद्यमान न हो, वहाँ उसकी शक्तियाँ और कृत्य अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति में निहित होंगी और जहाँ अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति भी विद्यमान न हो, वहाँ कुलाबा स्तर की शक्तियाँ और कृत्य सक्षम नहर अधिकारी में निहित होंगी।
- (4) जहाँ अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति विद्यमान न हों, वहाँ उसकी शक्तियाँ और कृत्य रजबहा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति में निहित होंगी और जहाँ रजबहा स्तर पर भी जल उपभोक्ता समिति विद्यमान न हो, वहाँ अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की शक्तियाँ और कृत्य सक्षम अधिकारी में निहित होंगी।
- (5) जहाँ जल उपभोक्ता समिति रजबहा स्तर, शाखा स्तर और परियोजना स्तर पर विद्यमान न हो वहाँ उसकी शक्तियाँ और कृत्य सक्षम नहर

जल उपभोक्ता समिति के परिचालन में क्षेत्र का वर्णन	6 (1)	अधिकारी में निहित होंगी। सक्षम नहर अधिकारी, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, सिंचाई परियोजना या उसके किसी भाग के नियंत्रण क्षेत्र का जलीय और/ या प्रशासनिक आधार पर ऐसे क्षेत्र के रूप में वर्णन या उपान्तर कर सकता है जिसके लिए उपयुक्त स्तर के जल उपभोक्ता समिति का गठन विहित रीति से किया जायेगा। परन्तु यह कि परिचालन के क्षेत्र के उपान्तर से सम्बन्धित ऐसी कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जायेगी जब तक कि जल उपभोक्ता समिति और प्रभावित होने की आशंका वाले भू-धारकों को विहित रूप से उचित अवसर न प्रदान किया जाय। उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में, (क) कार्रवाई क्षेत्र के अद्यतन शजरा नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि और अन्य यथाविहित दस्तावेज विद्यमान होंगे।
(ख)	(2)(क)	अधिसूचना को जल उपभोक्ता समिति के कार्रवाई क्षेत्र में और उसके समीपवर्ती स्थानों पर व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। इच्छुक भू-धारकों द्वारा मांग किये जाने पर उक्त प्रतियां ऐसा भुगतान करने पर जो विहित किया जाय, उसे उपलब्ध करायी जायेगी।
(ग)	(3)	अधिसूचना या उसके किसी भाग द्वारा व्यक्ति कोई व्यक्ति अधिसूचना के तीस दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपीलीय अधिकारी अपील प्राप्त होने के तीन माह के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उक्त समझे और तत्पश्चात् ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उक्त अधिसूचना उपान्तरित हो जायेगी। परन्तु यह कि सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया जायेगा।
कुलाबा समिति के स्तर पर जल उपभोक्ता समिति का गठन	7 (1)	कुलाबा के कार्रवाई क्षेत्र के रूप में वर्णित क्षेत्र के लिए जल उपभोक्ता समिति का गठन किया जायेगा।
	(2)	कुलाबा के समस्त जल उपभोक्ता कुलाबा समिति के सामान्य निकाय का गठन करेंगे और विहित अहंता रखने वाले केवल वयस्क सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा। अवयस्क सदस्यों की दशा में उनके नैसर्गिक संरक्षक सामान्य निकाय में उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उन्हें मत देने

कुलाबा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति और उसके सदस्यों तथा पदाधिकारियों का निर्वाचन	(1)	का अधिकार होगा। यदि नैसर्गिक संरक्षक सामान्य निकाय का पहले से सदस्य है तो उसे केवल एक बार अपना मत देने का अधिकार होगा।
(2)	(2)	कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के किसी पद पर चयनित किये जाने के लिए पात्र नहीं है, कुलाबा समिति की प्रबन्ध समिति का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।
(3)	(3)	कुलाबा के नियंत्रण को उप नियंत्रणों की ऐसी संख्या में विभाजित किया जायेगा, जैसी विहित किया जाये। प्रत्येक उपनियंत्रण में भू-धारकों की लगभग एक समान संख्या होगी।
		प्रत्येक कुलाबा समिति की एक प्रबन्धन समिति होगी जिसका एक अध्यक्ष होगा। समिति में प्रत्येक उपनियंत्रण से एक प्रतिनिधि होगा। यदि प्रबन्धन समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला या पंचायत का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो प्रत्येक अप्रतिनिधित्व वाली श्रेणी के सापेक्ष एक व्यक्ति और ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष को सामान्य सभा के सदस्यों में से प्रबन्धन समिति द्वारा सहयोजित किया जायेगा। यह प्रबंध समिति कुलाबा समिति के कृत्यों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होगी।
		उपनियंत्रण के प्रतिनिधि को उपनियंत्रण के भू-धारकों में से यथाविहित अवधि और रीति से प्रत्यक्ष रूप से चुना जायेगा। प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी उपनियंत्रणों के प्रतिनिधियों में से कुलाबा समिति की प्रथम बैठक में स्वयं चयन किये जाएंगे। कुलाबा समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सक्षम सिंचाई अधिकारी द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी की अवधि यथाविहित होगी।
		परन्तु यह कि सामान्य सभा का कोई सदस्य प्रबन्ध समिति में पदाधिकारी के एक से अधिक पद को धारण नहीं करेगा:
		परन्तु यह और कि सामान्य सभा का कोई सदस्य, जो कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति में पदाधिकारी हो, किसी भी स्तर के किसी अन्य जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति में पदाधिकारी नहीं होगा, यदि कुलाबा समिति का कोई पदाधिकारी किसी उच्चस्तरीय जल उपभोक्ता समिति का पदाधिकारी चुना जाए, तो वह कुलाबा समिति का पदाधिकारी नहीं रहेगा।

(4)

यदि प्रबन्धन समिति का कोई सदस्य अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे तो उसे यथाविहत रीति से वापस बुलाया जा सकता है।

(5)

यदि प्रबन्धन समिति का कोई सदस्य उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति में दुन लिया गया है वापस बुला लिया गया है या मृत है तो इस प्रकार हुयी रिक्ति को विहित समय के भीतर भरा जायेगा।

(6)

यदि कोई कुलाबा, रजबहा या शाखा से सीधे जल प्राप्त करता हैं, तो सिंचाई अधिकारी जल उपभोक्ता समिति के गठन की कार्यवाही करेगा, जिसमें सीधे जल प्राप्त करने वाली कुलाबा समितियों की विनिर्दिष्ट संख्या होगी और यथास्थिति रजबहा या शाखा के स्तर पर जल उपभोक्ता समिति से सम्बद्धता होगी। ऐसे जल उपभोक्ता समिति का स्तर अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति के समान होगा। अग्रतर ऐसे जल उपभोक्ता की प्रबन्धन समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजनार्थ यथा स्थिति रजबहा या शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की सामान्य सभा होगी।

(7)

यदि उपधारा (6) में यथा पूर्वोक्त जल उपभोक्ता समिति का गठन सम्भव न हो तो सम्बन्धित कुलाबा समितियों की सम्बद्धता का स्तर प्रत्येक ऐसे जल उपभोक्ता समिति एवं उससे सम्बद्ध की जाने वाली कुलाबा समिति के साथ यथा विहित परामर्श के पश्चात निर्धारित किया जायेगा। ऐसे मामले में कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजन के लिए जल उपभोक्ता समिति की सम्बद्धता की सामान्य सभा होगी। यदि सम्बद्धता सम्भव न हो, सक्षम सिंचाई अधिकारी सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी सम्बद्धता होने तक ऐसी कुलाबा समितियों के लिए तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

स्पष्टीकरण: सीधे जल प्राप्त करने वाली कुलाबा समितियों के समूह के गठन और संघ के प्रयोजनार्थ, समीपस्थिता और सामान्य जल प्रवाह के सिद्धांत पर प्रमुख रूप से विचार किया जायेगा। उपधारा (6) और (7) के अनुसार गठन और सम्बद्धता करने में अक्षमता की आपवादिक परिस्थिति में, सक्षम सिंचाई अधिकारी ऐसी कुलाबा

- (8)
- समिति के लिए जल उपभोक्ता समिति के ताल्कालिक उच्च स्तर पर सभी कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगा।
यदि कोई कुलाबा सीधे नहर से जल प्राप्त करता है तो सक्षम सिंचाइ अधिकारी ऐसी कुलाबा समिति/समितियों के लिए ताल्कालिक उच्च स्तर जल उपभोक्ता समिति के सभी कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- अल्पिका, रजबहा और शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समितियों के प्रचालन के क्षेत्र के रूप में वर्णित क्षेत्र के लिए जल उपभोक्ता समितियों का गठन किया जायेगा जिसे क्रमशः अल्पिका समिति, रजबहा समिति और शाखा समिति कहा जाएगा।
- (9) (1)
- अपने प्रचालन के क्षेत्र में ठीक नीचे के स्तर के जल उपभोक्ता समितियों की प्रबन्ध समिति के सभी सदस्य, यथा स्थिति, अल्पिका समिति, रजबहा समिति या शाखा, समिति की साधारण निकाय का गठन करेंगे।
शाखा नहर से आफ-टेक करने वाली अल्पिकाओं के जल उपभोक्ता समितियों की प्रबन्ध समिति की दशा में, विनिर्दिष्ट संख्या में जल उपभोक्ता संघों को समाविष्ट करते हुए अल्पिका स्तर पर एक जल उपभोक्ता समिति गठित की जा सकती है और शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समितियों के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। ऐसे जल उपभोक्ता समितियों की प्रारिक्षित शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की होगी। अग्रतर, ऐसे जल उपभोक्ता संघ की प्रबन्ध समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजनार्थ शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति के साधारण निकाय का गठन करेंगी।
- यदि उपधारा (3) में यथा उपर्युक्त के रूप में जल उपभोक्ता समिति को गठन साध्य न हो, तो संबंधित अल्पिका समितियों की संबद्धता के स्तर का अवधारण प्रत्येक ऐसी अल्पिका समिति और सम्बद्ध जल उपभोक्ता समिति से यथा विहित परामर्श के पश्चात किया जाएगा। ऐसी दशा में अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्ध समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध जल उपभोक्ता समिति की साधारण निकाय का गठन करेगी।
- (2)
- यदि कोई अल्पिका मुख्य नहर से सीधे शुरूआत,
- (3)
- अल्पिका, रजबहा और शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समितियों के प्रचालन के क्षेत्र के रूप में वर्णित क्षेत्र के लिए जल उपभोक्ता समितियों का गठन किया जायेगा जिसे क्रमशः अल्पिका समिति, रजबहा समिति और शाखा समिति कहा जाएगा।
- (4)
- अपने प्रचालन के क्षेत्र में ठीक नीचे के स्तर के जल उपभोक्ता समितियों की प्रबन्ध समिति के सभी सदस्य, यथा स्थिति, अल्पिका समिति, रजबहा समिति या शाखा, समिति की साधारण निकाय का गठन करेंगे।
शाखा नहर से आफ-टेक करने वाली अल्पिकाओं के जल उपभोक्ता समितियों की प्रबन्ध समिति की दशा में, विनिर्दिष्ट संख्या में जल उपभोक्ता संघों को समाविष्ट करते हुए अल्पिका स्तर पर एक जल उपभोक्ता समिति गठित की जा सकती है और शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समितियों के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। ऐसे जल उपभोक्ता समितियों की प्रारिक्षित शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की होगी। अग्रतर, ऐसे जल उपभोक्ता संघ की प्रबन्ध समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजनार्थ शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति के साधारण निकाय का गठन करेंगी।
- (5)
- यदि कोई अल्पिका मुख्य नहर से सीधे शुरूआत,

अल्पिका समिति, रजबहा	10	(1)		करती है तो सक्षम नहर अधिकारी ऐसी अल्पिका समिति के लिये ऐसी सम्बद्धता तक के लिए रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के सभी कृत्यों और शक्तियों का निवहन करेगा।
समिति, और शाखा समिति की प्रबंध समिति				अल्पिका, रजबहा और शाखा स्तर पर प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति के लिए एक प्रबंध समिति होगी। समिति में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जैसे विहित किया जाय। यदि प्रबंध समिति में अनुसूचित जनजाति या महिला या नहर के अंतिम छोर पर स्थित समुचित स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व न हो तो प्रबंध समिति द्वारा सामान्य निकाय के सदस्यों अथवा यथास्थिति नहर के अन्तिम छोर पर स्थित समुचित स्तरीय पंचायत में से प्रत्येक गैर प्रतिनिधित्व वाले वर्ग के प्रति एक व्यक्ति को सहयोगित किया जायेगा। ऐसी प्रबन्ध समिति जल उपभोक्ता समिति के कृत्यों के निवहन के लिए उत्तरदायी होगा।
	(2)			अल्पिका, रजबहा, और शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति के सदस्य यथा विहित अवधि और रीति में निर्वाचित किये जायेंगे। यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य अधिनियम के अधीन विहित कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहता है तो उसे यथाविहित रीति में वापस बुलाया जा सकता है।
	(3)			प्रबंध समिति के पदाधिकारी, समिति के निर्वाचित सदस्यों में से स्वयं समिति के द्वारा यथाविहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे।
	(4)			शाखा समितियों के सभी अध्यक्षों से परियोजना समिति का गठन होगा।
परियोजना समिति का स्तर पर जल उपभोक्ता समिति का गठन।	11	(1)		परियोजना समिति के सदस्य अपने में से यथा विहित रूप से सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष का चयन करेंगे।
	(2)			किसी भी स्तर के जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति के किसी सदस्य का त्याग-पत्र संबंधित जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।
त्याग-पत्र की स्वीकृति	12	(1)		किसी जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष का त्याग-पत्र उसके ठीक उच्चतर स्तर के जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।
	(2)			इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व के दिनांक
विद्यमान जल उपभोक्ता	13			

समितियों पर अधिनियम
का लागू होना

जल उपभोक्ता समितियों
के आदेशों और दस्तावेजों
का प्रमाणीकरण

किसी कार्य या रिक्ति
आदि द्वारा अधिनियम का
अविद्यमान्योकृत न होना

जल प्रयोक्ता संघों को
सिंचाई प्रणाली प्रबन्धन
का अंतरण किया जाना

(2)

सिंचाई प्रणाली का
स्वामित्व राज्य सरकार में
होगा।

जल उपभोक्ता समिति

17.

18.

को शासनादेश 2188/27-4-67-डब्लू/96, दिनांक 1 मई, 06 के अनुसरण में गठित, किसी वर्णित क्षेत्र की कोई विद्यमान जल उपभोक्ता समिति कार्यशील बनी रहेगी, यदि सक्षम नहर अधिकारी और जल उपभोक्ता समिति के बीच हुए करार के उपबंध इस अधिनियम और तदर्थीन बनाये गए नियमों के उपबंधों से संगत हो।

किसी जल उपभोक्ता समिति के सामान्य निकाय या प्रबंध समिति के सभी अनुज्ञापन, आदेश, निर्णय, सूचनाएं और अन्य दस्तावेज जल उपभोक्ता समिति के सचिव के हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे।

किसी जल उपभोक्ता समिति के साधारण निकाय या प्रबंध समिति के कार्य या कार्यवाहियां ऐसे जल उपभोक्ता समिति के गठन में केवल किसी रिक्ति त्रुटि की विद्यमानता के कारण अविद्यमान्य न होगी यदि ऐसी बैठक में यथा विहित गणपूर्ति और अध्यक्ष उपस्थित हों।

धारा-7 की उपधारा (1) या धारा-9 की उपधारा (1) के अधीन किसी जल उपभोक्ता समिति के गठन की अधिसूचना के पश्चात, सिंचाई विभाग द्वारा अपने प्रचालन के क्षेत्र में आने वाली सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन आगामी फसल के मौसम में, (यथास्थिति, रबी या खरीफ) यथास्थिति, कुलाबा, अल्पका या रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति को सौंप दिया जायेगा। यदि ऐसा फसल मौसम एक महीने के भीतर ही पड़ रहा हो तो ऐसी सुपुर्दी आने वाले आगामी फसल मौसम में प्रभावी होगी।

राज्य सरकार द्वारा नियोजित और निधि पोषित अल्पका के पुनःस्थापना जैसे सिविल कार्य धारा-6 की उपधारा (1) के अधीन प्रबंध के अंतरण पश्चात जल उपभोक्ता समिति द्वारा कार्यान्वयित किये जायेंगे। जहाँ कोई जल उपभोक्ता समिति योजना को कार्यान्वयित करने में सक्षम न हो वहाँ सिंचाई विभाग इन कार्यों को जल उपभोक्ता समिति के सतोषानुरूप जल उपभोक्ता समिति की ओर से विशिष्ट भामले के रूप में इन कार्यों को करवायेगा।

सिंचाई प्रणाली, जिसका प्रबंधन इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जल उपभोक्ता समिति को अंतरित किया गया है, का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा।

जल उपभोक्ता समिति को जल के थोक आपूर्ति

और सरकार के मध्य
और जल उपभोक्ता
समिति के मध्य करार।

तथा संबंधित मुद्दों के प्रयोजनों के लिये रजबहा
स्तरीय जल उपभोक्ता समिति यथा विहित रीति में
सिंचाई विभाग के साथ एक करार करेगी। प्रत्येक
अन्य निम्नतर स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के
साथ समान करार करेगी।

(2) किसी लिखित करार या किसी विद्यमान करार के
पुनः नवीकरण के अभाव में नहर के जल की
प्रत्येक आपूर्ति राज्य सरकार या इस प्रयोजनार्थ
पदाधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकथित दरों
और शर्तों के अधीन रहते हुए दी गई समझी
जायेगी।

(3) करार के निवंधनों और शर्तों के अनुरूपता के
सिवाय, नहर के जल के उपयोग का कोई
अधिकार या यथास्थिति, सिंचाई विभाग/जल
उपभोक्ता समिति द्वारा किसी जल उपभोक्ता
समिति/ भूमिधारी को उपलब्ध जल की आपूर्ति की
बाध्यता का कोई अंधिकार न तो प्राप्त किया
जाएगा न प्राप्त किया गया समझा जाएगा।

(4) निम्नलिखित मामलों के सिवाय, यथास्थिति, सक्षम
नहर अधिकारी या जल उपभोक्ता समिति नियंत्री
स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या किसी भूमिधारी
को जल की आपूर्ति नहीं रोकेगी।

(एक) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा आदेशित और स्वीकृत
किसी कार्य के निश्चादनार्थ जब कभी और जब
तक के लिए ऐसी आपूर्ति को रोकना आवश्यक न
हो जाए;

(दो) जब कभी और जब तक के लिये ऐसा जल मांग
उचित स्वरूप में अनुरक्षित न हो और उससे जल
के बहाव की बरबादी को रोकना आवश्यक हो;

(तीन) ऐसी अवधि के भीतर जैसी कि सक्षम नहर
अधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत की जाय;

(5)(एक) कोई जल उपभोक्ता समिति अपने जल वितरण के
कार्य को विक्रय, या दर किरायेदारी नहीं देगा या
अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी।

(दो) कोई भी जल उपभोक्ता समिति किसी नहर के
संलग्न किसी कार्य, भवन या भूमि के उपयोग के
अधिकार को बेचने या दर किरायेदारी पर देने या
अन्यथा प्रभावित करने का हक्कदार न होगा।

(तीन) यदि यह पाया जाता है, कि किसी जल उपभोक्ता
समिति की प्रबंध समिति अपने कृत्यों का निष्पादन
करने में विफल रही है तो सक्षम नहर प्राधिकारी
उसे अपने कृत्यों के निष्पादन में सक्षम बनाने हेतु
सहायता देगा और उसे सुदृढ़ करने का प्रयास

- जल का आय-व्ययक
बनाना 19.
- मापन उपकरणों की
स्थापना 20.
- जल उपभोक्ता
समितियों हेतु जलापूर्ति
के लिये रीति और दरें 21.
- भू-राजस्व के बकाये
के रूप में देयों की वसूली 22.
- जलापूर्ति की विफलता या 23.
- करेगा। यदि ऐसी सहायता के बावजूद प्रबंध समिति कार्य सम्पादन में विफल रहती है तो सक्षम नहर अधिकारी उसके विलय और नई प्रबंध समिति के गठन का आरंभ ऐसी रीति में कर सकता है जैसी कि विहित की जाय।
प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को ध्यान में रखते हुए फसल मौसम के पर्याप्त पहले से अपने जल बजट के अनुसार फसल योजना तैयार करेगी और तदनुसार एक प्राथमिक सिंचाई कार्यक्रम की योजना सक्षम नहर अधिकारी के परामर्श से तैयार करेगी। ऐसा फसल पैटर्न एवं सिंचाई कार्यक्रम राज्य सरकार की कृषि एवं सिंचाई नीतियों की संगति में होगा।
सक्षम नहर अधिकारी यथाविहित जल उपभोक्ता समिति को जलापूर्ति के बिंदु पर जल के परिमाण को मापने के लिये मापन उपकरणों को उपलब्ध करायेगा और इसका रख-रखाव करेगा और व्यावहारिक स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मौसम के लिये प्रति वर्ष जल संबंधन क्षमता भी अवधारित करेगा।
सिंचाई विभाग द्वारा रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति की आपूर्ति बिंदु पर परिमाण की माप करते हुए जल की आपूर्ति की जायेगी। सक्षम नहर अधिकारी और जल उपभोक्ता समिति प्रत्येक फसल सब के आरंभ पर प्रवाह की संयुक्त रूप से जांच करेंगे। फसल अवधि के दौरान जल उपभोक्ता समिति को जल के सही निर्धारण के लिए यदि आवश्यक हो, तो अन्य समयों पर भी, प्रवाह को संयुक्त रूप से मापा जा सकता है। प्रत्येक फसल सब के अंत पर फसल वार जल का प्रभार आरोपित किया जायेगा।
इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन की जा रही या कोई जाने वाली वसूली के किसी अन्य रीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन विधेसम्मत रूप से देय और जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति द्वारा प्रमाणित कोई धनराशि जो भूस्वामी/जल उपभोक्ता/ जल उपभोक्ता समिति द्वारा अंशदत्त रह गई हो, को कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा।
राज्य सरकार या जल उपभोक्ता समिति के

रोके जाने की दशा में
प्रतिपूर्ति और माफी

शीर्ष समिति

24 (1)

(2)

(3)

निबंधक, निर्वाचन
अधिकारी, सक्षम नहर
अधिकारी और अपीलीय
अधिकारी की नियुक्ति

25 (1)

(2)

जल उपभोक्ता समिति में
सरकारी कर्मचारियों की
प्रतिनियुक्ति

26 (1)

(2)

नियंत्रण से परे, या किसी मरम्मत, या नहर में
किसी परिवर्तन या परिवर्धन या उसमें जल के
समुचित बहाव को विनियमितीकरण हेतु किये गए
किर्णी उपायों या सिंचाई के स्थापित मार्ग के
अनुरक्षण के कारण से जो कि सक्षम नहर
अधिकारी आवश्यक समझता है, नहर में जल की
विफलता या रोके जाने के कारण हुई किसी हानि
के संबंध में राज्य सरकार या जल उपभोक्ता
समिति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का कोई दावा नहीं
किया जाएगा, किंतु यथा विहित ऐसी हानि उठाने
वाला भूमि-धारी, यथास्थिति, जल उपभोक्ता
समिति या सक्षम नहर अधिकारी की संस्तुति पर
राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत जल के उपयोग
के लिए सदैय सामान्य जल प्रभारों से माफी के
लिए दावा कर सकता है।

राज्य सरकार शीर्ष समिति के नाम से एक राज्य
स्तरीय समिति का गठन कर सकती है जिसमें एक
अध्यक्ष और 20 से अधिक ऐसी संख्या में सदस्य
होंगे जिसमें से आधे सदस्य विहित पात्रता के
सरकारी पदधारी होंगे और शेष अन्य ऐसी जल
उपभोक्ता समिति जैसी विहित किया जाये, के
अध्यक्ष होंगे।

यह समिति राज्य में सहभागी, सिंचाई प्रबंधन
प्रक्रिया के अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान के
लिये जिम्मेदार होगी और राज्य सरकार को
आवश्यक फीडबैक (पृष्ठ प्रेषण) उपलब्ध करायेगी
तथा नीति विषयक मामलों में सलाह देगी।

यह समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का
सम्पादन करेगी जैसी विहित की जाय।

राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य
सरकार के अधिकारियों यथा निबंधक निर्वाचन
अधिकारी, सक्षम नहर अधिकारी और अपीलीय
अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है।

उपथारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की
शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये
जायें।

राज्य सरकार यथा विहित रीति में जल उपभोक्ता
समितियों के अनुरोध पर अपने कर्मचारियों को
प्रतिनियुक्त कर सकती है।

जल उपभोक्ता समितियों द्वारा कार्यालय क्षेत्र से
संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए किसी
व्यक्ति को वेतन और/या खाद्यान्न के रूप में यथा
अनुमोदित मजदूरी पर कियाये पर रखा/नियुक्त

		किया जा सकता है। पदाधिकारियों और जल उपभोक्ता समितियों के नियमित कर्मचारियों के पारिश्रमिक और भले और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।
	(3)	
जल उपभोक्ता समिति की 27 (1) निधियों के स्रोत		
	(2)	
	(एक)	
	(दो)	जल उपभोक्ता समिति की आय का मुख्य स्रोत उसके द्वारा आपूर्त किये गये जल हेतु संग्रह किये गये शुल्क का अंश, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये, होगा।
	(तीन)	कोई जल उपभोक्ता समिति निम्नलिखित स्रोतों से भी निधियाँ जुटा सकती हैं:-
	(चार)	संक्षम नहर प्राधिकारी के अनुमोदन से सिंचाइ प्रणाली के परिचालन क्षेत्र में सम्पत्ति तथा आस्तियों की आय से।
	(पांच)	शास्तियों तथा प्रशमन शुल्क।
	(छः)	भू-धारकों से अंशादान।
	(सात)	दान
	(आठ)	जमा राशियों पर व्याज
	(नौ)	उधार
निधियों का उपयोग	28	सेवाओं हेतु प्राप्त फीस
	29	राज्य अथवा केन्द्र सरकार से अनुदान अन्य स्रोतों से आय जैसा विहित किया जाये।
निधियों को जमा करना एवं उसका प्रशासन	30	जल उपभोक्ता समिति के निधियों का उपयोग उनके उद्देश्यों की पूर्ति तथा कृत्यों के निष्पादन हेतु किया जायेगा।
संरक्षित निधि	31	जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्ध समिति अगले वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक बजट तैयार करेगी जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय को प्रदर्शित किया जायेगा जिसे विहित रीति से सामान्य सभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
अंकेक्षण	32	जल उपभोक्ता समिति किसी अनुसूचित बैंक अथवा पोस्ट अफिस में समिति के नाम से खोले गये खाता में अपनी निधि जमा करेगी।
		प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति संरक्षित निधि को एक पृथक खाता में अनुरक्षित करेगी और इनका उपयोग ऐसी रीति से करेगी जैसी विहित की जाये।
		प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति अपने वार्षिक लेखा-

की परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक से करायेगी जैसा विहित किया जाये।

अध्याय-चार
अपराध एवं शास्तियां

अपराध एवं शास्तियां 33 (1)

- (एक) जो कोई भी सिंचाई प्रणाली के वर्णित क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य, विधिक प्राधिकार के बिना करता है, अर्थात् किसी नहर या जल निकासी संकर्म को क्षतिग्रस्त, परिवर्तित, वृद्धि या बाधित करता है;
- (दो) किसी नहर या जल निकासी मार्ग में या 'के अधीन', 'को' या 'से', जल प्रवाह या जलापूर्ति के साथ हस्तक्षेप करता है या जलापूर्ति में वृद्धि अथवा कमी करता है;
- (तीन) सिंचाई प्रणाली के कार्यवाही क्षेत्र के बाहर समुचित प्राधिकार के बिना जल का उपयोग करता है;
- (चार) जल की बर्बादी को रोकने के लिये समुचित सावधानी लेने में उपेक्षा करता है या उससे जल के प्राधिकृत वितरण के साथ हस्तक्षेप करता है, या ऐसे जल का अप्राधिकृत रूप से उपयोग करता है;
- (पांच) किसी नहर जल को विकृत या अपमिश्चित कर देता है जिससे यह उस प्रयोजनार्थ जिसके लिये इसका सामान्य उपयोग किया जाता है, कम उपयोगी हो जाय;
- (छः) लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा निश्चित किये गये वाटर गेज या किसी तल चिन्हों को नष्ट कर देता है;
- (सात) किसी नहर या जल निकासी मार्ग के किनारे या किनारों या किसी संकर्म के आर-पार जानवर या कोई वाहन नियमों के प्रतिकूल जब उसे इससे दूर रहने की इच्छा की गई है, पार करता है, पार करता है सिवाय उन स्थानों के जहां पशुधाट की व्यवस्था की गई हो और इसके लिए सड़क बनायी गयी;
- (आठ) अनुसूचित सिंचाई सारणी के क्रियान्वयन में बाधा डालता है;
- (नौ) नहर अथवा जल निकासी मार्ग पर अतिक्रमण अथवा नहरी आस्तियों अथवा शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है;
- (दस) इस अधिनियम के उपबंधों तथा तद्रीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करता है;

- तो उसका ऐसे कारावास, जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकती है अथवा अर्थदण्ड, जो लूपये एक हजार से कम न हो तथा क्षति मूल्य की सीमा अथवा दोनों तक हो सकता है, की शास्ति का दायी होगा।
- (2) जब भी उपधारा (1) में वर्णित अपराध किसी कम्पनी अथवा सोसाइटी द्वारा किया जाये तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय का प्रभारी हो तथा कम्पनी/सोसाइटी के कृत्यों के लिये उत्तरदायी हो तथा उन कृत्यों को करने की शक्ति रखते हो तथा कम्पनी/सोसाइटी के विरुद्ध भी ऐसे अपराध हेतु कार्यवाही की जायेगी तथा दण्डित किया जायेगा।
- (3) जब कभी भी किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए अर्थदण्ड लगाया जाता है तो उपयुक्त न्यायालय अर्थदण्ड का पूर्ण अथवा आंशिक भाग प्रतिकर के रूप में ऐसे व्यक्ति को जिसको अपराध से क्षति हुई हो, को भुगतान करने हेतु निर्देश दे सकता है।
- अपराधों की विवेचना 34. (1) उपधारा 33 (1) के अधीन अपराधों की विवेचना हेतु अलिप्तका समिति अथवा अन्य उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति सक्षम विवेचक अभिकरण का कार्य करेगी। ताल्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, उन अपराधों की विवेचना करेंगे जो निम्नतर स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों के क्षेत्राधिकार में घटित हो।
- (2) जिस जल उपभोक्ता समिति के क्षेत्राधिकार में अपराध घटित हो उसका अध्यक्ष अपराध की सूचना संज्ञान में आते ही तुरन्त सक्षम विवेचक अभिकरण को सूचित करने हेतु बाध्य होगा तथा सक्षम विवेचक अभिकरण के अनुरोध पर वह विवेचना में सहयोग देगा।
- (3) पुलिस अधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध घटित होने अथवा उसका प्रयत्न होने की जानकारी पाते ही तुरन्त सक्षम विवेचक अभिकरण को उनके घटित होने अथवा उत्पन्न होने की सूचना देंगे तथा सक्षम विवेचक अभिकरण को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकार में सहायता देंगे।

- | | | |
|--|---------|---|
| | (4) | सक्षम विवेचक अभिकरण अपने क्षेत्राधिकार में धारा 33 के अधीन दण्डनीय अपराधों की जानकारी होने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र विवेचना प्रारम्भ कर देगी। |
| | (5) | विवेचना के संबंध में सक्षम विवेचक अभिकरण उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगी जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी को संज्ञेय अपराधों की विवेचना के लिये समय-समय पर यथा संशेधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत प्राप्त है। |
| | (6) | यदि किसी जल उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष उपधारा (2) के अनुसार आचरण नहीं करता है तो उसे सक्षम विवेचक अभिकरण द्वारा सहअपराधी माना जायेगा तथा तदनुसार दण्डित किया जायेगा। |
| कार्यवाही संरित्थित करना | 35. | किसी भी न्यायालय द्वारा सक्षम विवेचक अभिकरण की लिखित शिकायत के सिवाय धारा 34 के अधीन किसी अपराध को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। |
| अपराधों का प्रशमन | 36. (1) | इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध हेतु अभियोजित व्यक्ति, कम्पनी या सोसाइटी द्वारा आवेदन किये जाने पर, सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी, जैसी स्थिति हो, किसी भी स्तर पर प्रशमन फीस जो अपराध हेतु निर्धारित अर्थदण्ड से अधिक न हो, लगा कर अपराध का प्रशमन कर सकते हैं: |
| | (2) | परन्तु यदि कोई व्यक्ति/कम्पनी/सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन पूर्व में दो बार अपराध कर चुकी हो अथवा जिसकी भूमि को इस प्रकार के अनाधिकृत कृत्य से पूर्व में दो बार लाभ हो चुका हो तो अपराधों का प्रशमन नहीं किया जायेगा। |
| अपील | 37. | यदि उपधारा (1) के अंतर्गत लगाये गये प्रशमन फीस का पूर्ण अथवा आंशिक भाग असंदेत है तो सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करायेगा। |
| दायित्व जब अनधिकृत रीति से जल उपयोग करने वाले की पहचान न | 38. | धारा 33 के अधीन निर्णय और आदेश से व्युत्थित कोई व्यक्ति समय-समय पर यथा संशेधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है। |
| | | यदि किसी नहर या जल प्रवाह मार्ग से आपूर्त जल का प्रयोग अनधिकृत रीति से किया गया है, और यदि वह व्यक्ति, जिसके कार्य या |

हो सके

दायित्व जब जल का प्रवाह बर्बाद होता है

39.

धारा 38 व 39 के अधीन शास्ति तथा निर्णय के अतिरिक्त वसूली योग्य प्रभार

40. (1)

अन्य विधियों के अधीन अभियोजन से रोक नहीं

(2)

शास्तिक प्रभार

42.

विवादों का निपटारा

43. (1)

उपेक्षा द्वारा ऐसा उपयोग हुआ है, की पहचान नहीं की जा सकती है, तो व्यक्ति जिसकी भूमि से ऐसा जल प्रवाहित हुआ है, यदि ऐसी भूमि को उससे लाभ हुआ है, या यदि ऐसे व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है या यदि ऐसी भूमि को कोई लाभ नहीं हुआ है और ऐसी भूमि के स्वामी ने इस प्रकार से जल के अधिकृत प्रवाह की सूचना सक्षम अधिकारी को समय से नहीं दी है, तो ऐसे आपूर्त जल के सम्बन्ध में प्रभार्य समस्त व्यक्ति संयुक्त या विवाक्षित रूप से, जैसा मामला हो, ऐसे प्रयोग हेतु किये गये प्रभारों के दायी होंगे।

यदि किसी नहर या जल प्रवाह मार्ग जल बर्बादी को प्रवाहित होता है, और यदि जल उपभोक्ता समिति द्वारा जांच के पश्चात् व्यक्ति जिसके कृत्य या उपेक्षा से जल की ऐसी बर्बादी होने की खोज नहीं की जा सकती है, तो ऐसे नहर या जल प्रवाह मार्ग से आपूर्त जल के सम्बन्ध में प्रभार्य समस्त व्यक्ति इस प्रकार बर्बाद किये गये जल के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

जल के अनाधिकृत प्रयोग या बर्बादी के लिये समस्त प्रभार ऐसे प्रयोग या बर्बादी के कारण उपगत किसी शास्ति के अतिरिक्त वसूल किये जा सकते।

धारा 38 या 39 के अधीन जल उपभोक्ता समिति द्वारा किये गये सभी निर्णय अपीलीय अधिकारी को अपील के अध्यधीन होंगे।

इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या अन्य दण्डनीय अपराधों के, लिये किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने से नहीं रोकेगी।

अप्राधिकृत सिंचाई हेतु सामान्य प्राधिकृत सिंचाई दर का कम से कम 10 गुना प्रभार निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि अप्राधिकृत सिंचाई की पुनरावृत्ति होती है तो यह प्रभार सामान्य प्राधिकृत सिंचाई दर के 20 गुना के बराबर तक होगा।

अध्याय-पांच

विवाद का समाधान

जल उपभोक्ता समिति के गठन, प्रबंधन, शक्तियों एवं कृत्यों के संबंध में विवाद अथवा मतभेद का समाधान निम्नानुसार होगा:

		(एक)	जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों के मध्य विवाद या मतभेद का समाधान उसकी प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा।
		(दो)	जल उपभोक्ता समिति के सदस्य तथा प्रबंध समिति के मध्य विवाद या मतभेद का समाधान यथास्थिति सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
		(तीन)	जल उपभोक्ता समितियों के मध्य विवाद या मतभेद का समाधान सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
	अपील	(2)	उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक विवाद अथवा मतभेद का समाधान संदर्भित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
		44 (1)	जल उपभोक्ता समिति के निर्णय से व्यक्ति कोई पक्ष सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा उसके न गठित होने की दशा में सुसंगत सक्षम नहर अधिकारी को अपील कर सकता है।
		(2)	निर्णय या आदेश के तीस दिन के भीतर उपधारा (1) के अधीन अपील की जायेगी।
		(3)	उपधारा (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक अपील का निस्तारण दाखिल किये जाने के तीस दिन के भीतर किया जायेगा।
		(4)	सक्षम नहर अधिकारी के निर्णय अथवा आदेश से व्यक्ति कोई पक्ष ऐसे निर्णय या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
			अध्याय-छः प्रकीर्ण प्रावधान
	सद्भवनापूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण	45.	किसी भी स्तर पर किसी जल उपभोक्ता समिति के कर्मचारियों, पदाधिकारियों और सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या तद्वीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
	निर्देश दिये जाने की राज्य की शक्ति	46.	जल उपभोक्ता समितियों को स्थापित करने के उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार समान्य

जांच

47.

प्रकृति के ऐसे आदेश या निदेश, जैसा वह आवश्यक समझें, जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्राविधिनांतों से असंगत न हों।

यदि राज्य सरकार का यह समाधान ही जाता है कि जल उपभोक्ता समिति के किसी कार्य से अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन हुआ हो या अनियमितता हुई है तो यह आदेश द्वारा सक्षम नहर अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन जांच करने या इसी तरह की कार्रवाई करने का निर्देश दे सकती है तथा सक्षम नहर अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी उस जांच अथवा मुकदमे के परिणाम की सूचना राज्य सरकार को, ऐसी अवधि के भीतर जैसी आदेश में विहित की जाय, प्रेषित करेगा।

साक्षी को बुलाने तथा
परीक्षण करने का
अधिकार

48.

इस अधिनियम के अन्तर्गत जाँच हेतु अधिकृत कोई अधिकारी उन सभी शक्तियों, जो साक्ष्य के बुलाने तथा परीक्षण से संबंधित है, का उपयोग उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सिविल न्यायालय को प्रदत्त की गई है तथा ऐसी प्रत्येक जाँच एक न्यायिक कार्रवाई मानी जायेगी।

जल की आपूर्ति अथवा इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित दावा के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार अथवा जल उपभोक्ता समिति के विरुद्ध किये गये समस्त दावों का विचारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा।

सिविल न्यायालयों की
अधिकारिता

49.

प्रारंभ में राज्य सरकार द्वारा जल उपभोक्ता समितियों का उनके कार्यों के निष्पादन हेतु इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षमता वर्धन किया जायेगा तथा तदोपरान्त प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान के आधार पर सहायता भी प्रदान की जा सकेगी।

प्रशिक्षण

50.

राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

51. (1)

यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वयित करने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी कठिनाई को दूर करके निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध, ऐसी अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभारी रहेंगे।

कठिनाईयां दूर करने की
शक्ति

52. (1)

उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष

(2)

इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव	53.	की अवधि के पश्चात् नहीं किया जायेगा। उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873, उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 और उत्तर प्रदेश पंचायत राज (जल प्रबंध समिति) नियमावली, 1983 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिवृत्त बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
निरसन और अपवाद	54-(1)	उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अध्यादेश, 2008, एतद्वारा निरसित किया जाता है।
	(2)	ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारांश समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में 74,000 किमी० लम्बी नहर प्रणाली और 29,000 नलकूप राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। उत्तर प्रदेश का सकल कमांड क्षेत्र 2,579 करोड़ हेक्टेयर है जिसके 66 प्रतिशत आग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। सिंचित क्षेत्र के कुल 1,697 करोड़ हेक्टेयर के 26.3 प्रतिशत आग की सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। उक्त सिंचाई सुविधाओं के बावजूद कमांड क्षेत्र की कृषि उत्पादकता देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपर्याप्त थी। नहर द्वारा सिंचाई अपनी पूर्ण कुशलता के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी जिसका कारण अपर्याप्त अनुकूलता राजस्व की अत्यधिक मात्रा में वृक्ष जोत थी जिसके कारण कृषक आमुनिक साधनों को अपनाने में आर्थिक रूप से अक्षम थे। जिसके फलस्वरूप सरकारी संस्थाओं के लिए सिंचाई जल का वितरण, सिंचित क्षेत्र के आपूर्तिकालीन वर्षानुसारी और प्रबन्धन आदि कठिन हो गया था। यह महसूस किया गया कि कमांड क्षेत्र के कृषि जोतों की उत्पादकता घटती जायेगी जब तक कि कमांड क्षेत्र के कृषक अपनी समिति न बना लें और आमुनिक कृषि के तरीकों, सिंचाई व निवेश प्रबन्धन न अपनाएं। अतएव, नहर जल के आनुपातिक और वाञ्छित उपयोग और समुदाय के सहयोग से सिंचित कृषि के दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए यह आवश्यक था कि जल उपभोक्ता समिति का गठन करके सामुदायिक सहयोग प्राप्त किया जाय। अतः यह विनिश्चय किया गया कि एक विधि बनाकर जल उपभोक्ता समिति का गठन करने और उहें सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनी भूमिका निभाने में सशक्त करने के लिए व्यवस्था की जाय।

इसके राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वयित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 दिसंबर, 2008 को उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन, अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2008) प्रज्ञापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरास्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप दीरेन्द्र कुशवाहा
सचिव।



जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान (वाल्मी) ७० प्र० लखनऊ

संस्थान के मुख्य उद्देश्यः-

1. सिंचाई, समादेश क्षेत्र एवं कृषि विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कार्यशाला एवं पाठ्यक्रम के माध्यम से उत्साहित करना।
2. कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु नये-नये अनुसंधान करना।
3. सिंचाई प्रबन्धन एवं सिंचित कृषि हेतु सलाह देना।
4. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के प्रति रुक्षान पैदा करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. प्रशिक्षण की आवश्यकतानुसार कार्यरत विभागीय व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना।
6. सिंचाई प्रबन्धन के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रयोग करना तथा उनका लाभ कृषकों तक पहुंचाना।
7. संस्थान के उद्देश्यानुसार कृषि उत्पादन एवं जल प्रबन्धन विषय पर पत्र पत्रिकाएं तथा साहित्य को समय-समय पर प्रकाशित करना।
8. तकनीकी ज्ञान का प्रसार करना।
9. सिंचित क्षेत्र के कृषक संगठन हेतु समितियां बनाने तथा सशक्तीकरण हेतु योगदान देना।
10. सिंचित कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों से समन्वय स्थापित करना।
11. सिंचाई दक्षता, प्रभाव अध्ययन, एडाप्टिव ट्रायल तथा जलमण एवं ऊसर भूमि सुधार की योजना तैयार करना तथा मूल्यांकन करना।



जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान (वाल्मी)

(उत्तर प्रदेश सरकार का एक स्वायत्तशासी संस्थान)

वाल्मी भवन, उत्तरेठिया, लखनऊ-226025

फोन : 0522-2440309, 22441788, 2440553, 2440795 (PBX)

फैक्स: 0522-2440309

ई-मेल: walmeup@sancharnet.in